भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1189

सोमवार, 10 फरवरी, 2020 / 21 माघ 1941 (शक)

ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

1189. श्री जी. एम. सिद्देश्वर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में ठेका श्रमिकों/मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनकी असुरक्षा की भावना को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या मंत्रालय के पास देश में ठेका श्रमिकों/मजदूरों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में ठेका कामगारों/ श्रमिकों सहित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों का क्रियान्वयन कर रही है। संगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उनकी पात्रता के अनुसार मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार जीवन और अशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराने हेतु असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का क्रियान्वयन कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कामगारों को जीवन और अशक्तता कवर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की समेकित योजना, स्वास्थ्य और प्रसूति कवर के लिए पीएम-जेएवाई (आयुष्मान भारत), 15000/- रूपये या उससे कम की मासिक आय वाले और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं, ऐसे कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हाल ही में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना एक अंशदायी योजना है जिसमे लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान का 50% देय होता है और समान समरूप अशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान नियोजित ठेका कामगारों/ श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्र के तहत विभिन्न स्थापनों में कार्यरत ठेका श्रमिकों की कुल संख्या
2017	1110603
2018	1178878
2019	1364377

*****